उत्तराखण्ड राज्य

राजकीय महाविद्यालय कमान्द, टिहरी गढ़वाल

(श्रीदेवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल,
टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड से सम्बद्ध)



राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर आधारित
स्नातक पाठ्यक्रम
बी0ए0 में प्रवेश के लिए नियम 2025
प्रवेश नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय हेतु)
(शैक्षणिक वर्ष 2025–26 से प्रभावी)

राजकीय महाविद्यालय कमान्द, टिहरी गढ़वाल का उद्भव एवं विकास

राजकीय महाविद्यालय कमान्द, टिहरी गढ़वाल की स्थापना 29 जुलाई, 2016 में हुई। वर्ष 2016 में स्थापित यह महाविद्यालय टिहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करने का भरसक प्रयास कर रहा है। महाविद्यालय में वर्तमान में कला संकाय के अंतर्गत 06 विषय –हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास संचालित हो रहे हैं। महाविद्यालय के स्थापना वर्ष 2016 में 41 छात्रों ने प्रवेश लिया तथा 2017 से 2022 तक यह संख्या बढ़कर क्रमशः (53, 78, 114, 171) हो गई। सत्र 2018–19 में महाविद्यालय का प्रथम बैच पासआउट हुआ था जिसके बाद से निरंतर विद्यार्थी महाविद्यालय उच्च शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सक्रिय रहते हैं। पूर्व में महाविद्यालय राजकीय इण्टर कॉलेज कमान्द से प्राप्त तीन कक्षों में संचालित हो रहा था। किन्तु अगस्त 2023 में महाविद्यालय का भवन निर्मित होने के बाद से अपने स्वयं के भवन से संचालित हो रहा है। महाविद्यालय के भवन में विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सभी आधारभूत सुविधाएं–पर्याप्त फर्नीचर, कम्प्यूटर, क्रीड़ा कक्ष, एन0एस0एस0 कक्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु आवश्यक सभी सामग्री आदि उपलब्ध है। टिहरी क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है इस विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को प्रत्येक सत्र में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने तथा उनके सांस्कृतिक बोध निखारने के लिए समय–समय पर मंच प्रदान करता है। अध्ययन–अध्यापन में नई तकनीकों का भी प्रयोग करने हेतु महाविद्यालय में स्मॉर्ट बोर्ड द्वारा भी विद्यार्थियों को अध्यापन कराया जाता है जिस हेतु स्मॉर्ट क्लास भी निर्मित किया गया है। जहां आधुनिक तकनीक द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है साथ ही महाविद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को सवांरने हेतु महिला क्लब, संगोष्ठी, कार्यशालाओं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों अभिविन्यास कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है। जिससे बदलते परिवेश के अन्तर्गत समसामयिक दबावों में बेहतर काम करने की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। छात्र एवं जनकांक्षाओं के अनुरूप कमान्द क्षेत्र में विज्ञान संकाय की आवश्यकता है। जिसके हेतु सामूहिक प्रयास किया गया। अन्ततः माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड महोदय द्वारा घोषणा की गई और अन्ततः शासन एवं निदेशालय द्वारा विज्ञान संकाय खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। शीघ्र ही विज्ञान संकाय हेतु भी भवन निर्माण प्रक्रिया का प्रारम्भ होने की संभावना है।

महाविद्यालय श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल (SDSUV) से सत्र 2016–17 से सम्बद्ध तथा आच्छादित है। महाविद्यालय में 2016 से मात्र कला संकाय के छः विषय –हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा इतिहास संचालित हैं। विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशानुसार महाविद्यालय **NEP 2020 (New Education Policy)** नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सतत अध्ययन एवं शैक्षिक विकास में संलग्न है।

(i)- प्रवेश सम्बन्धित नियमावली (Admission on related guidelines)

1.1 प्रवेश की पात्रता (Eligibility Criteria)

बी0ए0 प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद या समकक्ष बोर्ड से उत्तीण होना अनिवार्य है।

1.2 सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु सम्बन्धित कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://ukadmisssion.samarth.ac.in पर पंजीकरण करना होगा।

1.3 श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नही होगा। ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल अंतिम तिथि के बाद स्वतः लॉक हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.4 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के ऑनलाईन प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार कर उसके आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। तथा उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा जिनकी समस्त अर्हताओं तथा ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र/प्रारूप में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों के आधार पर महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा सत्यापन कर लिया जायेगा।

1.5 ऑनलाईन माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किये हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय महाविद्यालय की प्रवेश समिति के सम्मुख अपने ऑनलाईन आवेदन की हॉर्डकॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों तथा अधिकार/आरक्षण, टी0सी0, सी0सी0, मूल निवास विषयक प्रमाण पत्रों आदि से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं महाविद्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।

1.6 प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sdsuv.ac.in पर उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लिखित निर्धारित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा साथ अभ्यर्थी के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेगें।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे महाविद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय में किसी कक्षा में धोखधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी प्रेषित की जायेगी।

(ग) किसी विद्यार्थी को अपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्व किये जाने की दशा में सम्बन्धित विद्यार्थी को निरूद्व की गई अवधि के लिए महाविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जायेगा तथा दण्डित होने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता/अप्रिय गतिविधि, अपराधिक गतिविधि की शिकायत मिलने की स्थिति में महाविद्यालय की अनुशासन समिति की बैठक में सम्बन्धित शिकायत की जांच की जायेगी। तथा जांच में शिकायत सही पाये जाने पर अनुशासन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सम्बन्धित विद्यार्थी पर लागू होगा।

1.8 महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश समिति संयोजक द्वारा युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित की जायेगी।

1.9 किसी भी अभ्यर्थी को यदि महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नही दिया जायेगा। तथा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिए गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत धोखाधड़ी से प्रवेश लेना माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिया जायेगा।

1.10 प्रवेशरत किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) महाविद्यालय में जमा नही किया तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश प्राचार्य/प्रवेश समिति संयोजक द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जोकि निम्नवत् है–

1. अनुसूचित जाति – 19 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति – 04 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़े वर्ग – 14 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 10 प्रतिशत

अतिरिक्त सीटों के अतिरिक्त

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश अनुसार क्षैतिज आरक्षण(Horizontol Reservation) अनुमन्य होगा)

1. महिलाएं – 30 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक– 05 प्रतिशत

3. दिव्यांग – 05 प्रतिशत

4. स्वतंत्रा संग्राम सैनानियों के आश्रित – 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग के होगी/होगा उसे उसी श्रेणी क्षैतिज आरक्षण (Horizontol Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नही होगा)

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संसोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्न सुविधाएं प्रदान की जायेगी–

1- Extension in date of admission upto 30 days

2- Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum elgibility requirement.

3- Waiving of domicile requirement.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्राप्त अभ्यर्थी – 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने का) 20 अंक

(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवा निवृत कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि/सगा भाई/बहन – 20 अंक

(घ) जम्मू कश्मीर में तैनात अर्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि/सगा भाई/बहन तथा जम्मू कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि/सगा भाई/बहन – 20 अंक

(ड) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेलों में प्रतिभाग करने पर 50 अंक

(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर 40 अंक

(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 30 अंक

(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकरी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक

(ठ) अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर

15 अंक

नोटः उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा। यह केवल वरियता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

1.14 **(क)** यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर महाविद्यालय पर प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात महाविद्यालय स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नही होगा।

1.15 महाविद्यालय में बिना स्थांतरण प्रमाण पत्र (टी0सी0/सी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश नही दिया जायेगा।

1.16 **(क)** प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थिति में प्राचार्य 05 प्रतिशत तक की तथा प्राचार्य की संस्तुति पर विश्वविद्यालय में कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद/विवाद के निपटारे हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जोकि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.17 माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं0 310/04 ए0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी, 2009 तथा 27 मार्च, 2009 को दृष्टिगत रखते हुए यू0जी0सी0 एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है, जोकि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम कार्यवाही हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है। कॉलेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। इस अपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उददेश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरूद्ध एण्टी रैगिंग समिति अपराध की गम्भीरता को देखते हुए निम्नतम् कार्यवाही कर सकती है–

1 प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना।

2 महाविद्यालय से निष्कासन /निलंबन किया जाना।

3 प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।

किसी छात्र/छात्रा को बोलकर, लिखकर, संकेत हावभाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना, नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना, उन्हे मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना , परेशान करना, उनके क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिए बाध्य करना जिन्हें वे नहीं करना चाहते या शर्म महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता महसूस होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो तथा किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग सम्बन्धी नियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबन्धित एवं निषिद्व है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाये जाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(ii) अर्हता निर्धारण के नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान हेतु)

(शैक्षणिक सत्र 2025–26 से प्रभावी)

अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक महाविद्यालय द्वारा इण्टरमीडिएट (सीनियर सेकेण्डरी) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंको के आधार पर किये जायेंगे। महाविद्यालय में वर्तमान में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 120 सीट स्वीकृत है। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यूजीसी से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं प्रवेश हेतु अर्ह होंगें।

(क) महाविद्यालय में वर्तमान में कला संकाय के अंतर्गत 6 विषय–अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, इतिहास तथा समाजशास्त्र संचालित है। कला संकाय के अंतर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी–

(i) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत से तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के अंतर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांको में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कर कर योग्यता सूची (मेरिट सूची) में आने पर एवं महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिए जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थाई होगी।

3. कला संकाय (Bechelor of Arts B.A.) हेतुः–

1. महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत वर्तमान में अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं समाजशास्त्र विषय संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक प्रवेशार्थी को स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core) (DSC) का चयन करना होगा। विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में चयनित डी0एस0सी0 – विशिष्ट मूल (DSC- Discipline Specific Core) विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नही होगी। प्रवेशार्थी को महाविद्यालय द्वारा संचालित जी0ई0–सामान्य ऐच्छिक (जैनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। सत्र 2025–26 में प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के अन्तर्गत विद्यार्थी को निम्न श्रेणी के अन्तर्गत अध्ययन करना होगा।

 (a) DSC - Discipline Specific Core

 (b)G. E. (Generic Elective)

 (c) AEC (Ability Enhancement Course)

 (d) SEC Skill - Enhancement Course

 (e) Value Aided Course

2. (a) DSC – प्रवेशार्थी नियमानुसार तीन मुख्य विषयों का चयन करेगा। प्रत्येक विषय 04 क्रेडिट का होगा।

 (b) G. E. – के अंतर्गत विद्यार्थी उन उपलब्ध विषयों में से चयन करेगा जो DSC के अंतर्गत नही चुने गये हैं।

 (c) AEC (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम) विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का होगा।

 (d) SEC - (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों (6 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/Recognized Online Platforms से पूर्ण करना होगा।

 (e) VAC (Value Aided Course) मूल्य योजन पाठ्यक्रम– स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) को अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

 (f) IAPC (इंटर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टीसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच) /फील्ड वर्क पाठ्यक्रम – इंटर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टीसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच फील्ड वर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के

प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/फील्डवर्क से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

(g) Minor Project- स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में SEC के अंतर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबन्ध पूर्ण करना होगा।

(b) Data Science- कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में SEC के अंतर्गत डाटा साइंस से सम्बन्धित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन कराना आवश्यक होगा।

कला संकाय

महाविद्यालय में कला संकाय में निम्न विषय संचालित है जिनमें स्वीकृत सीटों का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र0सं	विषय	सीटों की संख्या
1	हिन्दी	60
2	संस्कृत	60
3	अंग्रेजी	60
4	समाजशास्त्र	60
5	राजनीति विज्ञान	60
6	इतिहास	60

परिचय पत्र (Identity Card) सम्बन्धी निर्देश

1. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र रखना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी को महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करते समय एवं अध्ययन के दौरान परिचय पत्र रखना अनिवार्य है।
3. परीक्षा, पुस्तकालय, शैक्षणिक भ्रमण एवं अन्य महाविद्यालयीय गतिविधियों में भाग लेने हेतु परिचय पत्र की मांग की जा सकती है।
4. यदि परिचय पत्र गुम हो जाये या क्षतिग्रस्त हो जाये तो छात्र/छात्रा को तत्काल महाविद्यालय प्रशासन को सूचित करते हुए नवीन परिचय पत्र हेतु आवेदन करना होगा।
5. बिना परिचय पत्र के पाये जाने पर विद्यार्थी को महाविद्यालय के किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक सुविधा से वंचित किया जा सकता है।
6. परिचय पत्र को हमेशा साफ सुथरा एवं सुरक्षित अवस्था में रखना विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं गरिमा बनाये रखना अनिवार्य है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मर्यादित व्यवहार करे एवं किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से स्वयं को दूर रखें।
2. सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सम्बन्धित विषय की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति मे विद्यार्थी को परीक्षा देने से रोका जा सकता है।
3. विद्यार्थियों हेतु ड्रेस कोड के अंतर्गत छात्राओं हेतु नीला कुर्ता, सफेद सलवार तथा सफेद दुपट्टा तथा छात्रों हेतु सफेद शर्ट एवं नीला पैन्ट निर्धारित है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी ड्रेस कोड का पालन करें।
4. महाविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबन्ध किये गये हैं। परिसर में महिला प्रकोष्ठ (महिला हेल्प डेस्क) एवं सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं। जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा से निपटा जा सके।
5. यौन उत्पीड़न, छेड़खानी या किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि के विरूद्व शक्त कार्यवाही की जाती है। ऐसी किसी घटना की सूचना तुरन्त महिला प्रकोष्ठ या प्राचार्य कार्यालय को देना आवश्यक है।
6. छात्र/छात्राओं हेतु स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालयों की समुचित व्यवस्था की गई है। परिसर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाये रखने हेतु सभी विद्यार्थियों का सहयोग अपेक्षित है।
7. शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेल–कूद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
8. विद्यार्थियों हेतु कैरियर कांउसलिंग व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएं, योग शिविर एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यकतानुसार एवं मर्यादित ढंग से किया जाना चाहिए। कक्षाओं में मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध है।
10. समस्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय की गरिमा–परंपरा एवं नियमों का पालन करते हुए एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में अपने आचरण एवं व्यवहार को विकसित करना अपेक्षित है।

महाविद्यालय पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. पुस्तकालय महाविद्यालय के सभी पंजीकृत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। पुस्तकालय का प्रयोग करने हेतु विद्यार्थी के लिए पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य है।
2. पुस्तकालय का उपयोग शान्त वातावरण में किया जाये। पुस्तकालय परिसर में मौन बनाये रखना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का शोर वार्तालाप अथवा मोबाइल का उपयोग निषिद्व है।
3. पुस्तकें केवल निर्धारित अवधि हेतु निर्गत की जाती हैं। निर्धारित समयावधि के उपरान्त पुस्तक लौटाना अनिवार्य है।
4. एक बार में एक एक विद्यार्थी को अधिकतम दो पुस्तकें 15 दिन की अवधि तक निर्गत की जाती हैं(जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया गया हो)।
5. पुस्तक की देखरेख करना विद्यार्थी का दायित्व है। पुस्तक को मोड़ना, चिन्हित करना, फाड़ना या किसी भी प्रकार के क्षति पहुंचाना प्रतिबन्धित है। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की जा सकती है।
6. पुस्तकालय की समाय सारिणी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है। सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय पालन करें।
7. पुस्तकालय कॉर्ड गुम हो जाने की स्थिति में तत्काल पुस्तकालय प्रभारी को सूचित करें। बिना कार्ड के पुस्तक निर्गत नही की जायेगी।
8. पुस्तकालय नियमों का उल्लघंन करने वाले विद्यार्थियों की सदस्यता निलंबित की जा सकती है। या अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अभिभावक – शिक्षक संघ

महाविद्यालय में अभिभावकों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु एक शसक्त अभिभावक–संघ कार्यरत है। इस संघ के माध्यम से अभिभावकों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन तथा विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। समय–समय पर संघ द्वारा बैठके आयोजित कर अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त करता है, जिससे संस्था के शैक्षिक वातावरण को और अधिक सुदृढ़ एवं सहभागिता पूर्ण बनाया जा सका।

महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

महाविद्यालय परिसर को सुरक्षित गरिमा में एवं शसक्त वातावरण प्रदान करने हेतु महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013 (**Prevention of Sexual Harassment fo**

Women at workplace Act[2013) के अंतर्गत गठित किया गया है। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य, महिला शिक्षकों एवं महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना तथा यदि कोई शिकायत होती है तो उस पर निष्पक्ष, गोपनीय एवं समयबद्ध कार्यवाही करना है। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य एवं प्रयास महाविद्यालय परिसर में महिला सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना, उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की गोपनीय जांच करना, छात्र एवं कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा इस हेतु समय–समय पर जागरूकता शिविर–कार्यशालाएं एवं संवाद सत्र आयोजजि करना है। महाविद्यालय की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे छात्राएं निडर होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें और एक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सकें।

महाविद्यालय में प्रवेशित तथा अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की ड्रेस कोड की आवश्यकता सम्बन्धी विवरण

Dress Code

स्नातक छात्र	स्नातक छात्राएं
कमीज (सफेद रंग)	कुर्ता (नीला रंग)
पेंट (नीला रंग)	सलवार (सफेद रंग)
	दुपट्टा (सफेद रंग)

- **महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुशासन नियमावली**

1. किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र स्वीकृत करने या बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय को है। किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा गल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या किसी भी आवश्यक तथ्य को छुपाने की जानकारी प्राप्त होने पर उसका प्रवेश अस्वीकृत/निरस्त किया जा सकता है।
2. जिन छात्र–छात्राओं की गतिविधियां, अनुशासन मंडल/प्रशासन की दृष्टि से अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर महाविद्यालय प्रशासन पद दबाव बनाने पर या शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर दंडित करने का प्रावधान है।
4. महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्रा किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

5. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं पान मसाला आदि निषेध है। इनका सेवन करते पाए जाने पर अर्थदण्ड वसूला जा सकता है। सम्बन्धित के विरूद्ध निष्कासन की कार्यवाही भी की जा सकती है।
6. महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं द्वारा शिक्षण कार्य के समय एवं परीक्षाओं के दौरान मोबाइल का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
7. महाविद्यालय की किसी भी सामग्री; जैसे–पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदण्ड का प्रावधान है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
8. परीक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान तात्कालिक नियम बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है।
9. सभी छात्र–छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखें। परिसर में इसे कभी भी दिखाने का आदेश दिया जा सकता है।
10. शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र/छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

- **आधारभूत सुविधाएं–** महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही निम्नोक्त शिक्षणेत्तर गतिविधियां सम्पादित की जाती हैं।

1. **क्रीड़ा परिषद्–** छात्र–छात्राओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के उद्देश्य से पठन–पाठन के साथ–साथ क्रीड़ा गतिविधियों का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी खिलाड़ी को क्रीड़ा विभाग में अपने खेल विशेष हेतु पंजीकरण करवाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा कैलेण्डर जारी होने के बाद महाविद्यालय में चयन तिथियां निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने खेल विशेष से सम्बन्धित अभ्यास कार्य में सम्मिलित होना अनिवार्य है। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होने पर छात्र/छात्रा इण्डोर एवं आउटडोर खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं तथा विजेता छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही छात्रों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शन के अनुरूप अंर्तमहाविद्यालय/जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का भी सुअवसर प्रदान किया जाता है।

2. **सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति–** छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए नृत्य, गीत, अभिनय, वाद–विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, नाटक, कविता, आशुभाषण तथा काव्यपाठ आदि विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं के माध्यम से सभी को योग्यता प्रदर्शन के समान अवसर प्रदान किये जाते हैं। समिति छात्र/छात्राओं में छिपी प्रतिभाओं को उभारकर उन्हें नई सृजनात्मक दिशा देने के लिए कृतसंकल्प है। छात्र/छात्राओं की प्रतिभा प्रदर्शन एवं बहुमुखी विकास के लिए यथासम्भव सहायता एवं मार्गदर्शन किया जाता है।

3. **पुस्तकालय**–महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध है, जो प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास विषय की पाठ्य–पुस्तकें एवं रिसर्च जर्नल सहित हिन्दी/अंग्रेजी के विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. **वाचनालय**–पुस्तकालय में छात्र–छात्राओं के लिए वाचनालय (रीडिंग रूम) की व्यवस्था भी की गई है। सभी छात्र–छात्राएं इस व्यवस्था का पालन करेंगे तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने रिक्त वादनों में वाचनालय में बैठकर पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र पढ़कर समय का सदुपयोग करेंगे।

5. **सूचनापट्ट**–महाविद्यालय की विभिन्न सूचनाओं एवं आदेशों को सूचित करने का केन्द्र वेबसाइट व सूचनापट्ट है। विद्यार्थी प्रतिदिन सूचनापट्ट पर अंकित सूचनाओं को अवश्य पढ़ें। वेबसाइट व सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाएं ही वैधानिक रूप से मान्य होंगी।

6. **अनुशासन मण्डल (प्रॉक्टोरियल बोर्ड)**–महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु एक अनुशासन समिति प्रभावी ढंग से कार्य करती है। यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय की नियमावली एवं निर्देशों का उल्लंघन करता है अथवा अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो अनुशासन मण्डल द्वारा उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

7. **IQAC** - राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् (NAAC), बैंगलूरू के प्रदर्शन के आलोक में प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में अकादमिक गुणवत्ता तथा उससे सम्बन्धित कौशल के संवर्धन–परिष्करण हेतु IQAC Cell महाविद्यालय में गठित किया गया। यह प्रकोष्ठ प्राचार्य की अध्यक्षता में अपनी नियमित बैठकों में अध्यापन, शोध तथा विस्तार के प्रबन्धन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करता है।

8. **विभागीय परिषद्**–महाविद्यालय के सभी विषयों में विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र–छात्राओं को बौद्धिक विकास के लिए समय–समय पर विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम; यथा–निबन्ध, क्विज, सामान्य ज्ञान, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए जाते हैं।

9. **अभिभावक–शिक्षक संघ**–महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक संघ का गठन किया जाता है, ताकि प्रतयेक सत्र में अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप छात्र–छात्राओं की करियर काउंसलिंग की जा सके। संघ का उद्देश्य छात्राओं का सर्वांगीण विकास कर उनके अभिभावकों को भी छात्र प्रदर्शन एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराना है।

10. **राष्ट्रीय सेवा योजना**–राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना को सोद्देश्य तथा कैरियपरक बनाने के लिए इसे लेने वाले छात्र–छात्राओं को विशेष योग्यता के आधार पर ए, बी तथा सी प्रमाण–पत्र देने का निर्णय लिया है। महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 छात्र संख्या वाली एक इकाई का गठन राष्ट्रीय सेवा प्रकोष्ठ, राज्य एन0एस0एस0 अधिकारी के पत्र

संख्या–XXIV–(9)/राष्ट्रीय सेवा योजना/15(10) दि0 08 सितम्बर, 2022 के क्रम में एवं SDSUV बादशाही थौल, टि0ग0 के माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त किया गया है। 'ए' प्रमाणपत्र हेतु एन0एस0एस0 के वार्षिक शिविर में प्रतिभागिता अनिवार्य होती है। यह शिविर एक सप्ताह का होता है एवं रात्रि विश्राम शिविर में ही किया जाता है। 'ए' प्रमाण पत्र, 'बी' एवं 'सी' प्रमाण–पत्रों की परीक्षा अनिवार्य होती है।

11. **महिला उत्पीड़न निवारण समिति**–माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु एक महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित करने का विधान है। इस समिति का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक छात्रा पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से मुक्त होकर अध्ययन कर सके। महाविद्यालय परिसर में किसी छात्रा को उत्पीड़न महसूस होने पर वह इस समिति को सूचित कर सकती है अथवा महाविद्यालय में रखी "शिकायत पेटिका" में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है।

12. **एंटी रैगिंग**–माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं यू0जी0सी0 आयोग के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु एंटी रैगिंग स्क्वॉड का गठन किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संख्या–370/04/09 दिनांक 26 फरवरी, 2009 एवं 17 मार्च, 2009 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या–54/xxiv(6)2009 दिनांक 28 मई, 2009 महाविद्यालय में नये छात्र–छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार की रैगिंग करने की अनुमति नहीं है यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग करते पाया गया/पाई गई तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

प्रवेश के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छात्र–छात्रा को एंटी रैगिंग शपथ पत्र ऑनलाइन भरना होगा जिसकी एक प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।

13. **छात्रवृत्ति**–महाविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी विद्यार्थियों को निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है–

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग छात्र–छात्राओं को समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। एक अन्य छात्रवृत्ति योजना में "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" के अंतर्गत 12वीं में 80% या अधिक अंक लाने वाले तथा B.A. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 60% या अधिक अंक लाने वाले छात्र–छात्राओं को मैरिट के अनुरूप क्रमशः 3000, 2000 और 1500 रूपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है। समय–समय पर शासनादेशों के अनुसार ही उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र पर वांछित प्रमाण पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करनी अनिवार्य होती हैं।

14. **छात्र संघ**–छात्र संघ निर्वाचन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में दिए गये निर्णय के आलोक में होगा। निर्णय अपर महाधिवक्ता भारत सरकार के पत्रांक 4240 दिनांक 23 फरवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित है। सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के अपने पत्रांक, दिनांक 27 फरवरी, 2007 से उत्तराखण्ड राज्य के विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित संस्थाओं को इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाता है। लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दे दी है। प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर पर छात्र संघ चुनाव कराया जाता है। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर स्नातक कक्षाओं तक 17 से 22 वर्ष तक की आयु सीमा लागू होगी। छात्र–छात्रा प्रत्याशी किसी भी रिक्त पद पर निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा सिर्फ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद करवाया जाता है।

चुनाव आचार संहिता तय सीमा एवं समस्त व्यवस्थाएं लिंगदोह समिति उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होगी। साथ ही छात्रसंघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पद से हटाया भी जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत लिंगदोह समिति की अनुशंसा की प्रति छात्र–छात्राओं द्वारा महाविद्यालय कार्यालय में नगद रू0 20 मात्र जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शासनादेशों एवं न्यायालय आदेशों के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि

1. छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी बनने हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य अर्हता होगी।
2. किसी भी छात्र–छात्रा की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में किसी भी विषय/पत्र में असफल होने की स्थिति में, उसे छात्रसंघ प्रत्याशी बनने का अधिकार नही होगा।

15. **एण्टी ड्रग समिति**–महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नशे की लत से बचाने, नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से एण्टी ड्रग समिति का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, रैली और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं जिनमें नशे के दुष्परिणामों को बतलाकर इससे बचने के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। समिति द्वारा विद्यार्थी को व्यक्तिगत परामर्श और सहायता यदि आवश्यक हो, तो वह भी प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत परिसर को "तम्बाकू मुक्त क्षेत्र" घोषित किया गया है। तम्बाकू मुक्त परिसर के 100 गज के दायरे में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग/विक्रय दण्डनीय अपराध है तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही का विधान है।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कमान्द, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। पिन–249131

उत्तराखण्ड राज्य

मोबाइल–9897788009, 8171919306

E.mail-gdckamand2016@gmail.com

वार्षिक शुल्क निर्धारण (सत्र 2025–26)

निदेशक (उ0शि0) हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक संख्या **-I/21708/24/xxiv-c-4/2024-01(11)/2019(E-58313)** उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 11 जून, 2024 में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत स्थित इस महाविद्यालय में अध्ययनरत बी0ए0 प्रथम सेमेस्ट (NEP) सर्मथ एवं बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर एवं बी0ए0 पचंम सेमेस्टर के के छात्र/छात्राओं से लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। जबकी भारत स्काउट पत्रांक रा0भा0 कर0गा0उ0/प्रा0मु0/4918–4988/2024 दिनांक 11.07.2024 के क्रम प्रति छात्र/छात्राओं रू0 100 प्रति वर्ष लिया जायेगा जो कि प्रवेश के समय पर एक किस्त में लिया जायेगा। श्रीदेव सुमन, उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल के द्वारा परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, पर्यावरण शुल्क तथा उपाधि शुल्क परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

क.सं.	मदवार शुल्क विवरण	बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर/द्वितीय सेमेस्टर	बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर/चतुर्थ सेमेस्टर	बी0ए0 पंचम/षष्टम सेमेस्टर
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00
2.	पुस्तकालय शुल्क	3.00	3.00	3.00
3.	विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
4.	महगांई शुल्क	240.00	240.00	240.00
5.	पंखा शुल्क	——	——	5.00
	योग–	266.00	266.00	271.00
6.	कौशनमनी शुल्क	200.00	200.00	——
7.	क्रीड़ा शुल्क	300.00	300.00	300.00
8.	वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	50.00
9.	विभागीय परिषद शुल्क	50.00	50.00	80.00
10.	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
11.	परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	30.00
12.	जल/विद्युत शुल्क	60.00	60.00	100.00
13.	विविध विकास/रेड क्रॉस शुल्क	100.00	100.00	150.00
14.	निर्धन छात्र सहायता कोष शुल्क	10.00	10.00	20.00
15.	छात्रसंघ शुल्क	45.00	45.00	60.00
16.	कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	80.00	80.00	100.00
17.	प्रांगण विकास शुल्क	50.00	50.00	100.00
18.	सांस्कृतिक परिषद शुल्क	45.00	45.00	60.00
19.	महाविद्यालय दिवस शुल्क	20.00	20.00	30.00
20.	आंतरिक परीक्षा शुल्क	——	——	30.00
21.	कैरियर काउन्सिलिंग शुल्क	30.00	30.00	30.00
22.	शिक्षक अभिभावक संघ शुल्क	30.00	30.00	50.00
23.	रोवर/रेजंर	100.00	100.00	100.00
24.	प्रसाधन	50.00	50.00	50.00
25.	जनरेटर/ईनवटर	50.00	50.00	50.00
26.	पारकिंग शुल्क	——	——	30.00
	योग–	1325.00	1325.00	1470.00
	महायोग–	1591.00	1591.00	1741.00

संयोजक 1. सदस्य 2. सदस्य 3. सदस्य 4. सदस्य प्राचार्य

क्र0सं0	प्राचार्य का नाम	पद
1	प्रो0 (डॉ0) गौरी सेवक	प्राचार्य

प्राध्यापकों का विवरण

क्र0सं0	विषय	प्राध्यापक का नाम	पद
1	समाजशास्त्र	डॉ0 शेफाली शुक्ला	एसो0प्रो0
2	इतिहास	डॉ0 राकेश नौटियाल	असि0प्रो0
3	अंग्रेजी	डॉ0 दीपक राणा	असि0प्रो0
4	संस्कृत	डॉ0 बीना रानी	असि0प्रो0
5	राजनीति विज्ञान	डॉ0 प्रवीन	असि0प्रो0
6	हिन्दी	डॉ0 नीना शर्मा	असि0प्रो0

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	श्री केदारनाथ भट्ट	प्रधान सहायक
2	श्री सोहन सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक
3	श्री सत्येन्द्र डोभाल	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
4	पूजा रानी	पुस्तकालय लिपिक (उपनल)
5	श्री कुलदीप कठैत	अनुसेविका (पी0आर0डी0)
6	श्रीमती प्रभा देवी	अनुसेविका (पी0आर0डी0)
7	श्री संजय बधानी	अनुसेवक (पी0आर0डी0)
8	श्री दिनेश लाल	अनुसेवक (पी0आर0डी0)
9	अंकित कुमार	अनुसेवक स्वच्छक (उपनल)